न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–144 / 2020 दायर दिनांकः 02.09.2020
GCMS NO:- 2020/00292
पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

देवकिशन पुत्र रामा जाति बैरवा निवासी पीपल्या तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–प्रार्थी

बनाम

1. रामसहाय पुत्र कल्याण जाति बैरवा निवासी पीपल्या तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. महावीरपुत्र कल्याण जाति बैरवा निवासी पीपल्या तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. इन्द्राबाई पुत्री कल्याण हाल पत्नी महावीर जाति बैरवा निवासी नैनवॉ तहसील नैनवां जिला बून्दी।
4. मोत्याबाई पुत्री कल्याण हाल पत्नी शंकर जाति बैरवा निवासी जरखोदा तहसील नैनवां जिला बून्दी॥
5. मन्नी बाई पुत्री कल्याण हाल पत्नी लटूर जाति बैरवा निवासी कैथूदा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
6. कस्तुरा पुत्र दल्लाजाति बैरवा निवासी पीपल्या तहसील नैनवां जिला बून्दी।
7. गोपाल पुत्र भूराजाति बैरवा निवासी पीपल्या तहसील नैनवां जिला बून्दी।
8. रामप्रकाश पुत्र रामकरणजाति बैरवा निवासी पीपल्या तहसील नैनवां जिला बून्दी।
9. राजेश पुत्र रामकरणजाति बैरवा निवासी पीपल्या तहसील नैनवां जिला बून्दी।
10. मनभर बेवा रामकरणजाति बैरवा निवासी पीपल्या तहसील नैनवां जिला बून्दी।
11. विमला पुत्री रामकरण हाल पत्नी राजूलाल जाति बैरवा निवासी माण्डपुर तहसील नैनवां जिला बून्दी।
12. सोनू पुत्री रामकरण जाति बैरवा हाल पत्नी महावीर निवासी पुराना बस स्टेण्ड लाखेरी जिला बून्दी।
13. पांचीबाई पुत्री भूरा हाल पत्नी मूलचन्द जाति बैरवा निवासी कैथूदा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
14. भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।

––प्रत्यार्थीगण

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 ए आर.टी एक्ट

उपस्थिति–
प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 10.11.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम पीपल्या पटवार मण्डल पीपल्या तहसील नैनवां में प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे की भूमि खाता संख्या 111 के खसरा संख्या 542 रकबा 03 बीघा 03 बिस्वा भूमि स्थित है। यह कि प्रार्थी की भूमि में आने जाने व गाडी बेल, ट्रेक्टर–ट्रोली व कृषि उपज लाने के लिये प्रत्यार्थीगण की खसरा संख्या 541 रकबा 09 बीघा भूमि में होकर 10 फुट चौडा रास्ता बना हुआ है यह रास्ता पूर्व से पश्चिम दिशा में समगढ जाने वाले रास्ते से प्रत्यार्थीगण के खाते के खेत खसरा संख्या 541 की पश्चिमी दिशा की मेर के सहारे होकर [illegible] दक्षिण दिशा में प्रार्थी के खाते के खेत खसरा संख्या 542 में पहुचता है। जिसे परिशिष्ट अ में [illegible] से दर्शाये गया हैं। जिसका उपयोग व

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:23:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner

भोग प्रार्थी सदैव से करते चले आ रहे है। यह कि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। यह कि रास्ता नक्शा ट्रेस में अंकन नहीं होने के कारण दिनांक 15.08.2020 को प्रत्यार्थीगण प्रार्थी को उक्त रास्ते में होकर निकलने से मना करने लगे व लडाई झगडा करने को तैयार हो गये । यह प्रार्थना पत्र का कारण है। अतः प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थी को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि उपज लाने ले जाने के लिऐ 10 फिट चौडा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शा में कायम करवाया जाना आवश्यक है। जिसकी राशि प्रार्थी नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट अ ,नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा भूमि खसरा संख्या 542 रकबा 1.0598 हैक्टेयर में से रास्ता चाहा गया है। प्रार्थी की भूमि तक पहुंचने हेतु कोई रास्ता रिकार्ड में दर्ज नही है। अतः इसके लिए रास्ता खसरा संख्या 516 रकबा 1.0598 हैक्टेयर में से 40 फीट • 10फीट = 400 वर्गफीट तथा खसरा संख्या 541 रकबा 1.4562 हैक्टेयर में से 356 फीट • 10फीट = 3560 वर्गफीट अर्थात कुल रकबा 3960 वर्गफीट = 0.0368 हैक्टेयर भूमि दिया जाना प्रस्तावित है जो इनकी भूमि खसरा नम्बर 542 में पहुंचता है। यह कि प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट पीपल्या में पेश हुई। उपस्थित पक्षकारान की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। प्रार्थी को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थी को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। ग्राम पीपल्या पटवार मण्डल पीपल्या तहसील नैनवां में प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे की भूमि खाता संख्या 111 के खसरा संख्या 542 रकबा 03 बीघा 03 बिस्वा भूमि पर पहुंचने के लिए खसरा संख्या 516 रकबा 1.0598 हैक्टेयर में से 40 फीट • 10फीट = 400 वर्गफीट तथा खसरा संख्या 541 रकबा 1.4562 हैक्टेयर में से 356 फीट • 10फीट = 3560 वर्गफीट अर्थात कुल रकबा 3960 वर्गफीट = 0.0368 हैक्टेयर भूमि का प्रस्तावित रास्ता, जिसे परिशिष्ट "क" में लाल स्याही से अंकित किया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:23:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner